

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज जिला बारां राज.

विनोद कुमार बनाम राजस्थान राज्य

आपराधिक मु. प्रकरण संख्या: 128/2026, सी.एन.आर. नं. RJBR130002172026

पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां राज.

अंतर्गत धारा : 185, 3/181, 39/192, 146/196 एम.वी. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2026	सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र बाबूलाल, उम्र 31 वर्ष, निवासी— कुण्डी, थाना नाहरगढ़, जिला बारां (राज.) ने जरिये अधिवक्ता श्री तरुण पंकज व श्री नीरज मेहरा हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 28 FS 0142 को अपने को सुपुर्दगी पर दिए जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर संबंधित पुलिस थाना द्वारा केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से उक्त वाहन हस्तगत प्रकरण में बतौर सबूत जप्त करना तथा उसकी आगे अनुसंधान में अब कोई आवश्यकता नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी ने उक्त वाहन का स्वयं को रजिस्टर्ड स्वामी होना बताया है। बहस प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। इस बाबत् वाहन के असल आर.सी., बीमा, इत्यादि कागजात भी न्यायालय के अवलोकन हेतु प्रार्थी विनोद कुमार ने अपनी अभिरक्षा से पेश किए हैं। वाहन को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य दावेदार भी उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी विनोद कुमार ही इस स्तर पर उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु सर्वोत्तम हकदार व्यक्ति होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी विनोद कुमार का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि 50,000/- रुपये का सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तों का न्यायालय में संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा दे तो वाहन आवेदक को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। शर्त:- 1 जब भी न्यायालय जप्तशुदा वाहन को तलब करें। आवेदक स्वयं के खर्च पर प्रस्तुत करेगा। 2 दौराने विचारण आवेदक जप्तशुदा वाहन को रहन-बय/खुर्द-बुर्द/अन्तरित नहीं करेगा। 3 दौराने विचारण आवेदक वाहन के भौतिक स्वरूप में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं करेगा। आदेश सुनाया गया। आदेशानुसार सुपुर्दगीदार को प्रार्थी अधिवक्ता ने पेश किया तथा प्रार्थी की ओर से सुपुर्दगीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो बाद जांच तस्दीक किये गये। अतः संबंधित थाना प्रभारी को तहरीर जारी हो कि जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 28 FS 0142 किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो प्रार्थी विनोद कुमार को सुपुर्दगी में दिया जावे। वाहन की प्राप्ति रसीद न्यायालय को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज एवं फ़ैसल शुमार होकर नतीजा पेश होने पर समस्त कागजात शामिल चालान हो। आदेश को नियमानुसार सीआईएस पर भी इन्द्राज किया जावे। न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज, जिला बारां	